रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72

REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 61] नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 19, 1974/फाल्गुन 28, 1895

No. 61] NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 19, 1974/PHALGUNA 28, 1895

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue and Insurance)

PUBLIC NOTICE

New Delhi, the 19th March 1974

No. DRAWBACK/PN-7/74.—Under rule 4 of the Customs and Central Excise Duties Drawback Rules, 1971 (Notification No. 52/F. No. 602/2/70-DBK published in the Gazette of India Extraordinary, dated the 25th August, 1971), the Central Government hereby makes the following amendments in the Table published in the Public Notice No. Drawback/PN-1, dated 15th October, 1971:—

The rates of drawback mentioned under Column 4 against Sub-Serial No. 102 to 118, and 502, shall be omitted.

वित्त मंत्रालय

(राजस्व और बीमा विभाग)

सार्वजनिक सूचनाएं

नई दिल्ली, 19 मार्च, 1974

सं० प्रतिग्रहायगी/पी० एम०-7/74.—सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क प्रतिग्रहायगी नियमावली, 1971 (भारत के राजपत्र, असाधारण, दिनांक 25 अगस्त, 1971 में प्रकाशित

अधिसूचना सं० 52/फा० सं० 602/2/70—प्र० अ०) के नियम 4 के अधीन, केन्द्रीय सरकार सार्वजनिक सूचना सं० प्रतिग्रदायगी/पी० एन० 1, दिनांक 15 अक्तूबर, 1971 में प्रकाशित सारणी में एतदद्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है:—

उपक्रम सं० 102 से 118 तथा 502 के सामने स्तंभ 4 के अन्तर्गत दी गई प्रतिग्रदायगी की दरें निकाल दी जायेंगी ।

No. DRAWBACK/PN-8/74.—Under rule 4 of the Customs and Central Excise Duties Drawback Rules, 1971 (Notification No. 52/F. No. 602/2/70-DBK published in the Gazette of India Extraordinary, dated the 25th August, 1971), the Central Government hereby makes the following amendments in the Table published in the Public Notice No. Drawback/PN-1, dated the 15th October, 1971:—

For Sub-Serial No. 3809 and the entries relating thereto the following shall be substituted:—

Sub-Serial No.	Description of goods	Rate of drawback
3809	Tin plate containers of 11·34 kg. capacity containing cashew kernels for which carbon dioxide is used for preservation.	(a)(i) Rs. 842·40 (Rupees eight hundred forty two and paise forty only) per tonne of the net weight of empty containers as reduces by 12·5 gms per each container, plus (ii) Rs. 25·00 (Rupees twenty five only) per 1000 containers, plus. (iii) Rs. 90·00 (Rupees ninety only) per 1000 containers, plus (b) Whole of the duty paid under item 46 of the First Schedule to the Central Excise & Salt Act, 1944.

Provided that—

(i) the drawback specified in sub-clause (ii) of clause (a) will be granted if the exemption under this Ministry's Notification No. 7/65-CE, dated the 30th January, 1965 has not been availed of;

(ii) the drawback at the rate specified in item (b) will be granted where the exporter produces evidence to the satisfaction of the Assistant Collector of Customs regarding the amount of duty paid on the metal containers; and

Provided further that the exporter has not availed of the procedure under Rule 12 or 191A of the Central Excises Rules, 1944, in respect of the said duty.

C. BHUJANGASWAMY,
Joint Director (Drawback).

सं० प्रतिग्रदायगी/पी० एन०-8/74.—सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क प्रतिग्रदायगी नियमावली, 1971 (भारत के राजपत्र, असाधारण, दिनांक 25 अगस्त, 1971 में प्रकाशित अधिसूचना सं० 52/फा० सं० 602/2/70-—प्र०अ०) के नियम 4 के अधीन, केन्द्रीय सरकार

सार्वजनिक सूचना सं० प्रतिग्रदायगी पी० एन० 1, दिनांक 15 अक्तूबर, 1971 में प्रकाशित सारणी में एतद्द्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है :—

उपक्रमांक 3809 तथा तत्संबंधी प्रविष्टियों के लिए निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाय:—

उपक्रमांक	माल का विवरण	प्रतिग्रदायगी की दर
(1)	(2)	(3)
3809	11.34 कि० ग्रा० की क्षमता वाले टिन प्लेट के आधान, जिन में काजू की गिरियां हों, जिनके परिरक्षण के लिए कार्बन-डाइग्रम्लाइड का उपयोग किया जाता है ।	(क) (i) प्रति आधान पर 12.5 ग्राम कम करके खाली आधानों के शुद्ध भार के प्रति टन पर 842.40 रु० (केवल आठ सौ बयालीस रुपये चालीस पैसे) तथा (ii) 25.00 रुपये (केवल पच्चीस रुपये) प्रति 1,000 आधान, तथा (iii) 90.00 रुपये (केवल नब्बे रुपये) प्रति 1,000 आधान, तथा (ख) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा लवण अधिनियम, 1944 की प्रथम अनुसूची की मद 46 के अंतर्गत अदा किया गया सम्पूर्ण शुल्क ।

परन्तु—

(i) खण्ड (क) के उपखण्ड (ii) में विनिर्दिष्ट प्रतिग्रदायगी तभी मंजूर की जायगी जब कि इस मंत्रालय की दिनांक 30 जनवरी, 1965 की अधिसूचना सं० 7/65-के० उ० शु० के अंतर्गत छूट का लाभ नहीं उठाया गया हो;

(ii) मद (ख) में विनिर्दिष्ट दर पर प्रतिभूदायगी तभी मंजूर की जायगी जब कि निर्यातकर्ता सीमा शुल्क के सहायक समाहर्त्ता के समाधानार्थ यह साक्ष्य प्रस्तुत करें कि उसने धातु के आधानों पर शुल्क की अदायगी कर दी है, तथा

परन्तु शर्त यह भी है कि निर्यातकर्ता ने उक्त शुल्क के संबंध में, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क नियमावली, 1944 के नियम 12 अथवा 191-क के अंतर्गत कर्यावधि का लाभ नहीं उठाया हो।

सी० भुजंगस्वामी,
संयुक्त निदेशक (प्रतिभूदायगी)।

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1974